भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1426
29 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन की वर्तमान क्षमता

1426. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस्पात उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार भविष्य में इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई नई योजना बना रही है;

(ग) भारत में इस्पात उद्योग में एमएसएमई की हिस्सेदारी कितनी है;

(घ) क्या सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना चला रही है;

(ङ) आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस्पात क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या देश में विशेष श्रेणी के इस्पात के आयात को कम करने के लिए कोई रणनीति बनाई गई है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): निम्नलिखित तालिका पिछले पांच वर्षों के दौरान क्रूड इस्पात की क्षमता और उत्पादन का विवरण दर्शाती है:

वर्ष	क्षमता (मिलियन टन में)	उत्पादन (मिलियन टन में)
2020-21	143.91	103.54
2021-22	154.06	120.29
2022-23	161.30	127.20
2023-24	179.51	144.30
2024-25	200.33	152.18

जारी.....2/-

वर्ष 2024-25 में क्रूड इस्पात क्षमता में एमएसएमई की हिस्सेदारी नीचे दी गई है:-

क्रूड इस्पात क्षमता			
वर्ष	**एमएसएमई सहित द्वितीयक इस्पात संयंत्र**	**कुल**	**% हिस्सेदारी**
2024-25	94.42	200.3	47%
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति(जेपीसी); आंकड़े मिलियन टन में			

(घ) से (छ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने एमएसएमई सहित इस्पात क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने हेतु कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश के भीतर मूल्यवर्धित इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने हेतु विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।
iii. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध करने हेतु आयात की निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।
iv. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ-साथ घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करना।

*****